

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कौघर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 561 सन 2020

अनवान :-

1. रतनलाल पुत्र नत्थुराम जाति ब्रह्मण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र चानणराम जाति ब्रह्मण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर
2. प्रेमकुमार पुत्र नत्थुराम जाति ब्रह्मण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर
3. देवदत्त पंचारिया पुत्र नत्थुराम जाति ब्रह्मण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर
4. सूर्यकान्त पंचारिया पुत्र नत्थुराम जाति ब्रह्मण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर
5. बाबुलाल पुत्र नत्थुराम जाति ब्रह्मण निवासी गन्धेली तहसील रावतसर
6. अनुसूईया पुत्री नत्थुराम पत्नि परमानन्द शर्मा निवासी ब्रह्मण निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गांधारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 2/2 की कुल 14.1680 हैक में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 41/36 की कुल 7.5900 हैक में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 14/15 की कुल 1.8990 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चानणराम वल्द लिच्छीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चानणराम वल्द लिच्छीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चानणराम वल्द लिच्छीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पेटृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिरसा है।

प्रतिवादी संख्या 6 वादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिरसा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिरसा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिरसा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिय के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के उपखण्ड अधिकारी को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता चानणराम वल्द लिच्छीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 2/2 की कुल 14.1680 हैक् में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 41/36 की कुल 7.5900 हैक् में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 14/15 की कुल 1.8990 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चानणराम वल्द लिच्छीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा चानणराम वल्द लिच्छीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।


वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा चानणराम वल्द लिच्छीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 6 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 2/2 की कुल 14.1680 हैक् में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 41/36 की कुल 7.5900 हैक् में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 14/15 की कुल 1.8990 हैक् में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उपस्थित अधिकारी
जोहर

पर्चा खतोनी एवं प्रस्तुत नामान्तरकण के अनुसार वाद भूमि घानगराम बल्द लिच्छीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा घानगराम बल्द लिच्छीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा घानगराम बल्द लिच्छीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पत्ति में पीते/पीतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरमा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्ली है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प उद्युटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्ली किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मांजा धक 4 पीपीएम के खाता संख्या 2/2 की कुल 14.1680 हैक में से 1/6 हिस्सा व चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 41/36 की कुल 7.5900 हैक में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब का खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 14/15 की कुल 1.8990 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्ली जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्वी डिक्री

(आर्डर 20. कल 6-7 जाका दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अमकान :-

1. रतनलाल पुत्र नखुराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्धोली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नखुराम पुत्र धानणराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्धोली तहसील रावतसर
2. प्रेमकुमार पुत्र नखुराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्धोली तहसील रावतसर
3. देवदत्त पंचारिया पुत्र नखुराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्धोली तहसील रावतसर
4. सूर्यकान्त पंचारिया पुत्र नखुराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्धोली तहसील रावतसर
5. बाबुलाल पुत्र नखुराम जाति ब्रह्मण निवासी मन्धोली तहसील रावतसर
6. अनुसुईया पुत्री नखुराम पति धरमानन्द शर्मा निवासी ब्रह्मण निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जिरिये तहसीलदार रावतसर नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 561 सन 2020 निर्णय दिनांक- 15/09/2020

आज यह वाद मुझ पक्ष कोष उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिपक्ता वादी एवं पेशकार पक्ष की उपस्थिति में, अंतिम निर्णय / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सक्षुती एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 2/2 की कुल 141080 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा य चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 41/30 की कुल 75900 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चक 4 पीपीएम के खाता संख्या 14/15 की कुल 1. 8990 हेक्टर में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम घोषित रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इंजियर प्राथमिक पत्र के सलूम 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक को सहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे जय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्वी डिक्री आज दिनांक 15/9/2020 को भेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)